संख्या-185/2016/5154/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.।।।

प्रेषक,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण,उ0प्र0।
2- निदेशक, जनजाति विकास,उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 07 अक्टूबर, 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-46349/2016 उन्नति मैनेजमेन्ट कालेज मथुरा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-28.09.2016 के क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति के लिये आनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु आधार नम्बर अंकित किये जाने सम्बन्धी अनिवार्यता को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में उन्नति मैनेजमेन्ट कालेज, मथुरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-46349/2016 योजित की गयी है। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-28.09.2016 का आपरेटिव अंश निम्नवत हैः-

Issue notice." The learned counsels appearing for the respondents would submit that the Parliament has enacted the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, benefits and services) Act, 2016 (Act 18 of 2016) duly notified on 26 March 2016 for establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service.

The Constitution Bench of the Supreme Court is seized with the matter, therefore, I am of the opinion that the students who belong to the marginalized section of the society coming from far-flung remote areas of the State are entitled to a similar protection, accordingly, it is provided that the respondent-authorities are directed to accept the Online Form of the students without insisting for Aadhaar Card/Number, the authorities shall accept any alternative means of the identity and bank-account of the students. It is, further, provided that the first respondent-Principal Secretary, (Social Welfare Departmenty), Civil Secretariat, U.P. Lucknow shall remove Aadhaar Card/Number as a mandatory condition for student Registration form from the portal at the website shasanadesh.up.nic.in and stay the implementation of clause 3(iii) of the Government Order dated 4 May 2016 during pendency of the writ petition.

2- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-28.09.2016 के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या-3815/प्र0स0स0क/2016, दिनांक-04.05.2016 के बिन्दु संख्या-3(vi) में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन हेतु 'आधार नम्बर' अनिवार्य किये गये प्राविधान को याचिका के निस्तारित/लम्बित रहने तक उक्त शासनादेश से विलोपित/हटाया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक-04.05.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय शेष अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये तदनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का अग्रेत्तर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-185/2016/5154(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक-28.09.2016 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

4- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग।

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

8- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

9- रजिस्ट्रार, अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0लखनऊ।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।